चीनी का उत्पादन करने वाली फैक्टरियां

1309. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी की कितनी फैक्टरियां है और उनमें से प्रत्येक में चीनी का कितना वार्षिक उत्पादन करती है, कितनी फैक्टरियां बन्द पड़ी है और कितनी फैक्टरियों के काम शुरू करने की संभावना है और उन्हें पुनः चालू रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितने नये लाइसेंसों की मांग की है और किन किन स्थानों के लिए उन्हें इन लाइसेंसों की आवश्यकता है और इस संबंध में क्या और कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है तथा इस संदर्भ में गुजरात की स्थिति क्या है; और

(ग) गुजरात सरकार की ओर से क्या मांग प्राप्त हुई है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है या लिए जाने की संभावना है और यह निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) देश में इस समय 359 स्थापित चीनी फैक्टरियां है । 1984-85 मौसम के दौरान प्रत्येक फैक्टरी द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा बताने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । (देखिए परिशिष्ट xxxvi अनुपत्र संख्या 18) चार चीनी मिलों अर्थात कर्नाटक की तीन और गुजरात की एक चीनी मिल ने हाल ही में सूचित किया है कि वे चीनी मौसम 1985-86 के दौरान कार्य नही करेंगी । सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए नयी चीनी नीति की घोषणा की है और इन बन्द पड़ी फैक्ट्रियों में से कुछेक द्वारा पुनः कार्य शुरु करने की संभावना है ।

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए ग्यारह आवेदन पत्र प्राप्त हुए है । इन आवेदन पत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग नीति तैयार की जा रही है जिसमें सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए अपनाए जाने वाले मार्ग दर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को भूर्तरूप देने के बाद ही इन आवेदनपत्रों के बारे में निर्णय किया जा सकता है ।

(ग) उपयुक्त भाग (ख) मे उल्लिखित 11 आवेदन पत्रों में से एक आवेदन पत्र गुजरात से प्राप्त हुआ है । इस आवेदन पत्र के बारे में भी लाइसेंस देने विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा ।

विवरण

प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	जिले सहित प्रस्तावित स्थान
1	चिपलुन, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र
2	पो०आ० सिंडेवाही, तहसील सिंडेवाही जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र ।
3	तालुक ओमेरगा, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र ।
4	तहसील फतेहबाद, जिला हिसार, हरियाणा ।
5	तहसील सिलवासा, दादरा और नगर हवेली ।
6	तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)
7	तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)
8	तहसील डूम-डूम, जिला डिब्रुगढ़ (असम)

क्रम सं०	जिले सहित प्रस्तावित स्थान
9	तहसील विश्वनाथ चराइली, जिला दारंग, असम ।
10	नामबोल, जिला मणिपुर, मणिपुर ।
11	साबरकंठा सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, इडोर, जिला साबरकंठा, गुजरात

Agreement with a foreign firm for constructing Janata Flats

1310. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

PROF. C. LAKSHMANNA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority has signed an agreement with a firm in Denmark for constructing 20,000 Janata flats;

(b) what are the details of the agreement about price, delivery schedule, amount to be paid to the contractor and foreign exchange involved;

(c) what is the rate per sq. foot agreed to the firm and the present rate per sq. foot for constructing the Janata flats in the country;

(d) whether it is also a fact that this agreement has been signed without calling for tenders; and

(e) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

Changes in the Master Plan for Delhi

1311. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is any proposal under Government's consideration to bring changes in the Delhi Master Plan; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir. Extensive modifications in the Master Plan for Delhi (1962—82) have been proposed by the Delhi Development Authority and are being processed as per Delhi Development Act 1957, as amended from time to time.

(b) Details are being worked out. The modified plan is an exercise in perspective planning upto the year 2001.

Rise in price of skimmed milk powder and butter oil

1312. PROF. C. LAKASHMANNA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the price of the imported donated skimmed milk powder and butter oil had been rising steadily leading to the rise in price of baby food which is prepared from the skimmed milk powder and butter oil;

(b) what are the names of the countries from which skimmed milk podwer and butter oil are being imported and the cost per Kg. thereof and the cost per Kg. at which it is made available to the consumers; and

(c) whether Government are taking steps to contain the prices of these com-